

कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक,
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
§वाणिज्य अनुभाग§

क्रमांक:- जोविनि/अप्रनि/वाणिज्य/प्रे. सं. 84 दिनांक:


आदेश - 10

4/9/2K

विषय:- ग्रामीण एवं म्यूनिसिपल कमेटी §म्यूनिसिपल काउंसिल क्षेत्रों को छोड़ कर § क्षेत्र के घरेलू/अघरेलू, कृषि एवं लघु औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से बकाया वसूली हेतु दी जा रही एक मुश्त रियायत योजना बाबत ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत पूर्व राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आदेश क्रमांक 506 दिनांक 20.5.2000 §वाणिज्य - 494§, क्रमांक 507 दिनांक 20.5.2000 §वाणिज्य - 495§, क्रमांक 973 दिनांक §वाणिज्य - 520§ एवं क्रमांक 1104 दिनांक 15.7.2000 §वाणिज्य-520§ के अन्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी म्यूनिसिपल कमेटी क्षेत्र §म्यूनिसिपल काउंसिल क्षेत्रों को छोड़कर § के घरेलू, अघरेलू, कृषि एवं लघु औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने हेतु प्रदत्त की जा रही एक मुश्त रियायत योजना की समयावधि 31 जुलाई, 2000 को समाप्त हो गई है ।

अतः अब उक्त रियायत योजना 31 जुलाई 2000 से आगे जारी नहीं रहेगी ।


§एच. डी. चारण§
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, विद्युत नियामक आयोग, जयपुर ।
- 2- निर्देशक §वाणिज्य§ जो. वि. वि. नि. लि. , विद्युत भवन, जयपुर ।
- 3- मुख्य अभियन्ता §बीकानेर जोन§ जो. वि. वि. नि. लि. बीकानेर ।
- 4- संभागीय मुख्य अभियन्ता §जोधपुर जोन§ जो. वि. वि. नि. लि. , जोधपुर ।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता § जो. वि. वि. नि. लिमिटेड, _____
- 6- अधिशासी अभियन्ता § जो. वि. वि. नि. लि. , _____
- 7- सहायक अभियन्ता § जो. वि. वि. नि. लि. , _____


अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर